3/यो0-स0क0-34/2022/...115...

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2025-26)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर भा0प्र0से0,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-14.8.2025

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2025-26 में "सक्षम ऑगनबाड़ी एवं पोषण 2.0" के अन्तर्गत राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना के तहत केन्द्रांश मद में रू. 10727.00 लाख तथा राज्यांश मद में रू. 12762.00 लाख यानी कुल रू. 23489.00 लाख (रू. दो सौ चौंतीस करोड नवासी लाख) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के संकल्प ज्ञापांक-1062 दिनांक 07.03.23 से **"सक्षम ऑगनबाड़ी एवं पोषण 2.0"** योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई है तथा ज्ञापांक-5724 दिनांक 27.11.2017 द्वारा राज्य में बच्चों, किशोरियों, महिलाओं, धातृ महिलाओं में कुपोषणता को दूर करने हेतु विभिन्न अवयवों के लिए समेकित बाल विकास छत्र योजना कार्यान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में **"सक्षम ऑगनबाड़ी एवं पोषण 2.0"** के अन्तर्गत राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना के तहत कुल- 16949.06 लाख (एक सौ उनहत्तर करोड़ उनचास लाख छः हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-36 दिनांक- 16.04.2025 के द्वारा दी गयी है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में प्रथम अनुपूरक से प्राप्त **केन्द्रांश मद में रू. 10727.00 लाख तथा राज्यांश मद में रू. 12762.00 लाख यानी कुल रू. 23489.00 लाख (रू. दो सौ चौंतीस करोड नवासी लाख)** मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	केन्द्रांश/ राज्यांश का अनुपात	PFMS Code	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	पूर्व से स्वीकृत राशि	अतिरिक्त स्वीकृत राशि
1.	राष्ट्रीय पोषाहार मिशन- एन0एन0एम0 (केन्द्रांश मद)	60:40	3975 (BR94)	(51-2235021020225)	0225.02.01,13.01, 21.01,26.01,28.02	15410.83	**10727.00**
2.	राष्ट्रीय पोषाहार मिशन- एन0एन0एम0 (राज्यांश मद)			(51-2235021020325)	0325. 02.01,13.01, 21.01,26.01,28.02	1538.23	**12762.00**
कुल - (रू. दो सौ चौंतीस करोड नवासी लाख)						16949.06	**23489.00**

2. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आई.सी.डी.एस. निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, जिला स्तर पर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं प्रखंड/परियोजना स्तर पर सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध CFMS में प्राप्त राशि के आधार पर ही आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश से राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक – 12888/वि0 दिनांक-03.12.2024, 227/वि० दिनांक 28.03.2025, 235/वि0 दिनांक 01.04.2025, पत्रांक-600/वि. दिनांक-06.08.2025 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों / परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो0-स0क0-34/2022 के टिप्पणी पृष्ट संख्या -**26 /टि0** पर दिनांक-**08.08.2025** को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0-स0क0-34/2022 के टिप्पणी पृष्ट संख्या -**27/टि0** पर दिनांक-**13.08.2025** को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

13/8/25

(योगेश कुमार सागर)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0-स0क0-34/2022/115/दिनांक- 14.8.2025

प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक आई.सी.डी.एस./सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/8/25
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0-स0क0-34/2022/115/दिनांक- 14.8.2025

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/8/25
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0-स0क0-34/2022/115/दिनांक- 14.8.2025

प्रतिलिपि – विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं स्वीकृत्यादेश की प्रति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/8/25
संयुक्त सचिव